सं0सं0–1/शि0शु0–03/2017–

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

अनिल कुमार,
सरकार के संयुक्त सचिव।

प्रेषक,

महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

औपचारिक रूप से परामर्शित

द्वारा– वित्त विभाग।

पटना, दिनांक– / /2017

विषयः– माननीय न्यायमूर्ति श्री अखिलेश चन्द्रा (सेवानिवृत्त), माननीय अध्यक्ष, शिक्षण शुल्क निर्धारण समिति, बिहार, पटना का सेवा शर्त निर्धारण के संबंध में।

आदेशः– स्वीकृत।

सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना सं0–12636 दिनांक–16.09.2016 द्वारा माननीय न्यायमूर्ति श्री अखिलेख चन्द्रा (सेवानिवृत्त) को शिक्षण शुल्क निर्धारण समिति के अध्यक्ष पद पर मनोनीत किया गया है।

तद्नुसार माननीय न्यायमूर्ति श्री अखिलेश चन्द्रा (सेवानिवृत्त), माननीय अध्यक्ष, शिक्षण शुल्क निर्धारण समिति, बिहार, पटना का सेवा शर्त निर्धारण विचाराधीन था।

सम्यक् विचारोपरान्त माननीय न्यायमूर्ति श्री अखिलेश चन्द्रा (सेवानिवृत्त), अध्यक्ष, शिक्षण शुल्क निर्धारण समिति, बिहार, पटना के वेतन/भत्ते/सेवा शर्तें आदि का निर्धारण निम्नानुसार करने का निर्णय लिया गया है–

(क) वेतन एवं भत्ते –

(i) माननीय अध्यक्ष के रूप में मनोनीत न्यायूमर्ति (सेवानिवृत्त) को सेवानिवृत्ति के समय अंतिम मूल वेतन में से पेंशन (कम्यूटेशन सहित) की राशि घटाने के बाद जो राशि होगी, वह उनका वेतन होगा तथा उस पर समय–समय पर अनुमान्य महँगाई भत्ता देय होगा। साथ ही पेंशन पर महँगाई राहत का भुगतान होता रहेगा।

(ii) सी0डब्ल्यू0जे0सी0 सं0–1642/2003 में माननीय उच्च न्यायालय के दिनांक–01.04.2003 को पारित आदेश के आलोक में माननीय न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) को सेवानिवृत्ति के ठीक पहले प्राप्त सभी भत्ते के अनुरूप सभी भत्ते (मकान किराया भत्ता, sumptuary allowance सहित) अनुमान्य होंगे।

(ख) छुट्टी– समय–समय पर यथा पुनरीक्षित उच्च न्यायालय के आसीन न्यायाधीश की हकदारी के अनुरूप सभी प्रकार की छुट्टियाँ अनुमान्य होंगी।

(ग) वाहन सुविधा– माननीय अध्यक्ष को वातानुकूलित (ए0सी0) कार, बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम द्वारा निर्धारित प्रतिदिन, प्रति वाहन की दर के अन्तर्गत एक वाहन किराये पर अनुमान्य होगा।

(घ) चिकित्सा प्रतिपूर्ति– समय–समय पर यथा पुनरीक्षित उच्च न्यायालय के आसीन न्यायाधीश की हकदारी के अनुरूप चिकित्सा प्रतिपूर्ति अनुमान्य होंगे।

क्रमशः

(ड़) **समाचार पत्र एवं पत्रिका**– माननीय अध्यक्ष को दो समाचार पत्र एवं दो पत्रिकाओं पर व्यय हेतु अधिकतम रु0 800/– प्रतिमाह अनुमान्य होंगे।

(च) यात्रा भत्ता – माननीय अध्यक्ष को सरकारी कार्यों से यात्रा करने की स्थिति में वातानुकूलित प्रथम श्रेणी रेल/वायुयान (executive class) की सुविधा अनुमान्य होंगे।

विश्वासभाजन

(अनिल कुमार)
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांकः–1/शि0शु0–03/2017– 448(1) /स्वा0, पटना, दिनांक– 13/04/2017

प्रतिलिपिः– सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना/सचिव, कर्मचारी चयन आयोग, पटना/सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/मुख्यमंत्री सचिवालय/सचिव, बिहार विधान सभा, पटना/सचिव, बिहार विधान परिषद्, पटना/सभी विश्वविद्यालय के कुलपति को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

13.4.17

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांकः–1/शि0शु0–03/2017– 448(1) /स्वा0, पटना, दिनांक– 13/04/2017

प्रतिलिपिः– मा0 अध्यक्ष, शिक्षण शुल्क निर्धारण समिति, बिहार, पटना/सचिव, शिक्षण शुल्क निर्धारण समिति, बिहार, पटना/परीक्षा नियंत्रक, बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद्, पटना/परीक्षा नियंत्रक, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना/राज्य में निजी क्षेत्र में संचालित सभी तकनीकी संस्थानों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

13.4.17

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांकः–1/शि0शु0–03/2017– 448(1) /स्वा0, पटना, दिनांक– 13/04/2017

प्रतिलिपिः– मा0 मंत्री, स्वास्थ्य विभाग के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग के निजी सहायक/कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, शेखपुरा, पटना/संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य विभाग के निजी सहायक/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना/अवर सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना/निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना/डॉ0 अशोक कुमार यादव, उप निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना/सभी प्रशाखा पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना/लेखा शाखा (दो प्रतियों में), स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

13.4.17

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांकः–1/शि0शु0–03/2017– 448(1) /स्वा0, पटना, दिनांक– 13/04/2017

प्रतिलिपिः– आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

13.4.17

सरकार के संयुक्त सचिव